

सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क

स. क्र.	विवरण	शुल्क राशि रूपयो में	भुगतान प्रक्रिया
1	2	3	4
1.	धारा-6 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पंजीयन शुल्क	रु. 10/- दस रु. प्रति आवेदन	नगद, समुचित रसीद (या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प या मनी आर्डर) सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्य शीर्ष 0070-उपमुख्य शीर्ष-800- अन्य प्राप्ति" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा।
2.	धारा-7 की उप धारा (1) सूचना उपलब्ध कराने हेतु शुल्क क) तैयार किये गये या प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए ख) बड़े आकार के कागज पर ग) नमूना अथवा मॉडल के लिए घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए 1. पहले घण्टे के लिए 2. उसके पश्चात प्रत्येक 15 मिनट (या उसके भाग के लिए)	रु. 2/- दो रु. प्रति पृष्ठ वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य रु. 50/- पचास रूपये रु. 5/- पांच रु. प्रति 15 मिनट	नगद, समुचित रसीद (या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प या मनी आर्डर) सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्य शीर्ष 0070-उप मुख्यशीर्ष-800- अन्य प्राप्ति" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा।
3	धारा-7 की उपधारा (5) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु मुल्य निम्नानुसार दर से नगद समुचित रसीद सहित - क) सी.डी. या फ्लापी मे सूचना उपलब्ध कराने के लिए ख) मुद्रित फार्म में सूचना के लिए	रु. 50/- पचास रूपये प्रति सी.डी. या फ्लापी प्रकाशन के लिए नियत कीमत	नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्य शीर्ष 0070-उप मुख्यशीर्ष-800- अन्य प्राप्ति" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा।

टीप: - गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों के लिए: -

अ) आवेदन शुल्क

नि: शुल्क

ब) जानकारी उपलब्ध कराने हेतु शुल्क: -

1. जानकारी स्वयं से संबंधित होने पर

नि: शुल्क

2. जानकारी स्वयं से संबंधित नहीं होने पर -

रु. 100/- तक नि: शुल्क